न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्टरीवा,

जिला रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2012

R - 4258-II/12

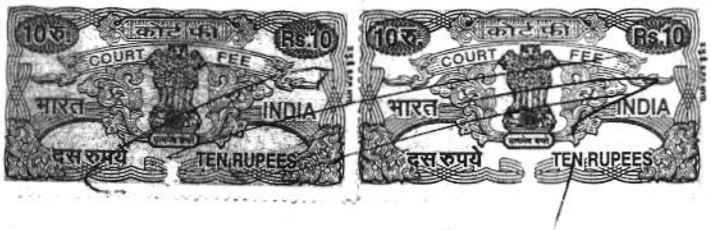

शिवराज पिता सत्य प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम बरहट, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0 --------- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- रामयश द्विवेदी तनय स्व0 जगदीश प्रसाद द्विवेदी

2- रामसागर द्विवेदी तनय स्व0 जगदीश प्रसाद द्विवेदी,

3-गंगा सागर द्विवेदी तनय स्व0जगदीशप्रसाद द्विवेदी

4- मणिराज पिता सत्य प्रसाद द्विवेदी सभी निवासीगण ग्राम बरहट, तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0 ------ गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र01/ अपील/ 12-13 आदेश दिनांक 5-10-12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहितासन 1959ईस्वी।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि विचारण न्यायालय केसमक्ष निगरानीकर्ता ने पुराने बटवारा एवम

-2

(183)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0/4258–II/2012 जिला–सिंगरौली

शिवराज द्विवेदी/रामयश द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 01/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	